5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

121

माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. ~~/2017-18~~ निगरानी – 5202/2018/शाजापुर/भू.रा.

प्रार्थी ... श्री ... कैलाश जोशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 30/6/18.
30.6.18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

नारायणसिंह पिता धुलसिंह राजपूत
निवासी-ग्राम कबुलपुरा तहसील मो. बड़ोदिया
जिला शाजापुर ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन ......अनावेदक

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर के प्रकरण क्र. 45/अ-1/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 02.05.18 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत सुदृढ वैधानिक आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय

प्रार्थी आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, प्रार्थी आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 460/1 रकबा 1.73 स्थित ग्राम कबुलपुरा मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर में स्थित होकर प्रार्थी के द्वारा अपनी कृषि भूमि के सीमांकन हेतु धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत श्रीमान तहसीलदार महोदय मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। श्रीमान तहसीलदार महोदय के द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत क्र.1 मो. बड़ोदिया को दिनांक 28.03.2018 को आदेशित किया कि आवेदित भूमि का सीमांकन कर दिनांक 26.06.18 तक मय मौका पंचनामा अभिस्वीकृत फिल्डबुक के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिसकी सूचना पटवारी ग्राम कबुलपुरा को भेजी गई।

2. यह कि, कार्यालय पटवारी हलका नं.31 उकावता राजस्व निरीक्षक वृत्त क्र.1 मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर के द्वारा दिनांक 30.04.18 को कालुसिंह पिता प्रेमसिंह नारायणसिंह पिता धुलजी ग्राम कोटवार कबुलपुरा को इस आशय का सूचना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5202/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	